

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र./404/स्था./प्रशासन/2001

बिलासपुर, दिनांक 10.08.2001

आदेश

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की स्थगित आपात बैठक दिनांक 09.08.2001 के पद क्रमांक-1 में लिये गये नियमानुसार विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक: 22-1973) की धारा -49 के प्रावधानानुसार गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुये चयन समिति द्वारा व्याख्याता के लिये अनुशंसित गुणानुक्रम के सरल क्रमांक-1 में दर्शित कु. बी. ग्लेडविन को प्रौद्योगिकी संस्थान (इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूनिकेशन) में वेतनमान रू. 8000-275-13500/- में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रथमतः दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर व्याख्याता के पद पर नियुक्त किया जाता है।

इनका वेतन मूलभूत नियमों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

इनकी सेवाएं विश्वविद्यालय परिनियम-31 एवं अध्यादेश क्रमांक-4 में निर्धारित शर्तों के अनुसार नियंत्रित होंगी।

इन्हें उक्त वेतनमान में समग्र-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत भत्ते देय होंगे।

इस मद में होने वाला व्यय स्ववित्तीय योजना के प्रौद्योगिकी संस्थान के बजट से विकलनीय होगा।

कार्यपरिषद के आदेशानुसार

(फणीशरण त्रिवेदी)

कुलसचिव

पृ.क्रमांक/1405/स्था./प्रशासन/2001

बिलासपुर, दिनांक 10.08.2001

प्रतिलिपि -

1. कु. वी. ग्लेडविन, B.H.T.R.T. - 30, A.C.C. Colony, Kymore, Dist. - Katni (M.P.) 483 880 को इस निर्देश के साथ कि वे इस आदेश के जारी होने की तिथि से 15 दिन के भीतर आवश्यक रूप से अपना कार्यभार ग्रहण करें। कार्यभार ग्रहण करने की सूचना के साथ ही मुख्य चिकित्सक या समकक्ष शासकीय चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण पत्र, आयु संबंधी मूल प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता/पात्रता प्रमाण पत्र, यदि सेवा में हों तो नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र कार्यालय में जमा करना आवश्यक होगा।

17/1/16
12/1/16


2

2. मह
3. सचिव, राज्य अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
4. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर
5. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर

की ओर सूचनार्थ।

6. कुलपति जी के सचिव की ओर कुलपति जी की सूचनार्थ।
7. वित्ताधिकारी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।


उप-कुलसचिव (प्रशासन)